GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
UGC Approved Care Listed Journal
ISSN 2348-2397

UIS

शोध सरिता

An International Multidisciplinary Quarterly
Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal

• Vol. 8 • Issue 29 • January to March 2021

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

sancHar
Educational & Research Foundation

CONTENTS

S. No.	Topic		Page No.
1.	किशोर विद्यार्थियों के विद्यालयी वातावरण का उनके कॅरियर के प्रति निर्णय क्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन	महेन्द्र कुमार	1
2.	प्रगतिवादी काव्यधारा में नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण	डॉ0 रेशमा एल. नदाफ	6
3.	साधन और साध्य को सार्थक करता 'श्री राधा तत्व'	डॉ0 संजीव कुमार	10
4.	महाभारत में प्रतिपादित राजनीतिक–तत्त्व	डॉ0 शुभ्रा सिंह	15
5.	दक्षिण एशिया में नाभिकीय प्रसार और उसके सुरक्षा परिदृश्य पर प्रभाव	डॉ0 विपिन कुमार शर्मा	18
6.	अवध की लोक संस्कृति, भाषा और साहित्य : एक सर्वेक्षण	डॉ0 कीर्ति विक्रम सिंह डॉ0 अवधेन्द्र प्रताप सिंह	22
7.	हिंदी आत्मकथा साहित्य और बच्चन	मीनाक्षी देवी	26
8.	विद्यार्थियों, समाज एवं राष्ट्र के प्रति अध्यापकों के महान उत्तरदायित्व	अमृता श्रीवास्तव	29
9.	घटता लिंगानुपात और प्रजनन दर : विशेष टिप्पणी	नाहिद परवीन डॉ0 अमिता लछवानी	33
10.	पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका	डॉ0 नगमा खानम	38
11.	'मेरे संधिपत्र': समझौता जिंदगी से	प्रकाश मानू जाधव डॉ0 सविता तिवारी	43
12.	महात्मा बसवेश्वर और उनका वचन साहित्य	डॉ0 अंबुजा एन् मलखेड़कर	47
13.	भूमंडलीकरण तथा राजभाषा हिन्दी	डॉ0 मो. माजिद मियाँ	51
14.	भारतीय महिला लोक नाट्यों की समानांतर परंपरा	डॉ0 अपर्णा वेणु	55
15.	पुरुषार्थ चतुष्ट्य में अर्थ की महत्ता	डॉ0 चारू मिश्रा	59
16.	हिंदी वेब सीरीज का समाजशास्त्र	डॉ0 ममता	62
17.	पर्यावरण संरक्षण एवं लोक–संस्कृति में जनजातीय महिलाओं की भूमिका	पाटला कुमारी	67

ISSN - 2348-2397
UGC CARE LISTED JOURNAL
UIS
शोध सरिता
January-March, 2021
Vol. 8, Issue 29
Page Nos. 38-42
AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

पंचायतीराज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

डॉ0 नगमा खान*

शोध सारांश

गाँधी जी के रामराज की अवधारणा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अपने गाँवों का प्रबन्धन एंव प्रशासन करने का अधिकार दि जाये, उनका कहना था कि सत्ता का केन्द्रीयकरण सदैव ही हानिकारक है। जिसके परिणामस्वरूप कुछ थोड़े से व्यक्ति राज्य की स पर एकाधिकार स्थापित कर लेते है। और छल कपट के द्वारा उनके साधनों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये करते है। जिसे रोक का उपाये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का विकेन्द्रीकरण ही हो सकता है। उनका सपना था कि राजनीतिक व आर्थिक रूप से स्वावल गांवों की स्थापना हो और प्रत्येक ग्राम एक पूर्ण गणराज्य हो तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से महिलाओं को भी राजनीति में अ भागीदारी सुनिश्चित करने के अवसर प्राप्त हो सकें तथा महिलायें भी अपनी समस्याओं का हल करने हेतु नेतृत्व प्रदान कर सकें।

Keywords : पंचायतीराज व्यवस्था, नारीवाद, विकेंन्द्रीकरण, स्वराज, महिला सशक्तिकरण, राजनीतिक सहभागिता, लोकतंत्र।

प्रस्तावना :–

पंचायती राज व्यवस्था की पृष्ठभूमि – स्वतन्त्रता के पश्चात् पंचायतीराज व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है, सत्ता को एक स्थान पर केन्द्रित करने की बजाये उसे स्थानीय स्तर पर विभाजित किया जाए ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो सकें। लार्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। सन 1882 में उन्होंनें स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी प्रस्ताव दिये। जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जब स्वतंत्रता की घोषणा की गई तब महात्मा गाँधी ने कहा था–''जब तक भारत की महिलायें सार्वजनिक जीवन में भाग नहीं लेती है तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता है। विकेन्द्रीकरण का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है जिस तरह महिलाओं ने अपना पूरा योगदान नहीं दिया है उसी तरह स्वराज्य के लिये मुझें कोई फायदा नहीं होगा''। (ऊषा 1999)

स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में योजना आयोग द्वारा सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया, जिसमें स्थानीय स्वशासन की कल्पना की गयी। 1957 में बलवंत राव मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी। जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर खण्ड स्तर व जिला स्तर पर अपनी सिफारिशें सन् 1958 में प्रस्तुत की। तत्पश्चात् इनकी सिफारिशों को मान लिया गया और जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में 02 अक्टूबर 1959 में प्रथम बार राजस्था नागौर जिले में लागू किया गया। इसके उपरान्त आन्ध्र राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। तत्पश्च भारत के कई राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया ग

सन् 1960 से पंचायतीराज के कार्यप्रणाली के विविध का अध्ययन करने के लिये अनेक अध्ययन दल, समितियों कार्यदल नियुक्ति किये जाते रहें है। जो इस प्रकार है–

1. अशोक मेहता समिति 1977
2. जी. वी. के. राव समिति 1985
3. एल. एम. सिंघवी समिति 1986
4. थुंगन समिति 1988
5. गाडगिल समिति 1988

इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक प्रदान करने हेतु विभिन्न समितियों के माध्यम से अध्ययन गया। सन् 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर ग्राम पंचाय पंचायती राज व्यवस्था में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गय सन् 1992 में ही 79वां संविधान संशोधन कर नगर पंचाय संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

काग्रेंस सरकार में श्री पी. बी. नरसिंहा के प्रधानमंत्री में भारत के संविधान में एक नया खण्ड 9 सम्मिलित किय और ''पंचायतें'' नाम से इस भाग में जोड़ा गया। तदुपरा अन्य अनुसूचियां 9वीं व 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया।

*सहायक प्राध्यापक – राजनीति विज्ञान, दयानंद वैदिक महाविद्यालय, उरई, जालौन।